

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

बिनोद कुमार झा,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-सह-विशेष कार्य पदाधिकारी,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-.....

विषय :-

मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ -800- अन्य व्यय -0002-गजेटियर्स मांग सं0-40
विपत्र कोड एन 2070008000002 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में 15,04,000 /-(पन्द्रह
लाख चार हजार) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वेतनादि मदों में उपबंधित राशि में से लेखानुदान द्वारा उपलब्ध राशि 33.33 प्रतिशत की सीमा के अधीन हजार के गुणक में 33 प्रतिशत अन्तर्गत निम्न रूप से इकाईवार राशि आवंटित की जाती है।

विषय शीर्ष	इकाई का नाम	बजट उपबंध	लेखानुदान द्वारा उपलब्ध राशि 33.33%	आवंटित राशि हजार के गुणक में (33%) के अन्तर्गत	शेष राशि
0101	वेतन	1678000	559277.4	553000	1125000
0103	जीवन यापन भत्ता	1980000	659934	653000	1327000
0104	मकान किराया भत्ता	336000	111988.8	110000	226000
0105	परिवहन भत्ता	42000	13998.6	13000	29000
0106	चिकित्सा भत्ता	12000	3999.6	3000	9000
0107	अन्य भत्ता	7000	2333.1	2000	5000
	योग - वेतन एवं अन्य भत्ते	4055000	1351531.5	1334000	2721000
1101	यात्रा व्यय	110000	36663	36000	74000
1301	कार्यालय व्यय	150000	49995	49000	101000
1306	वर्दी/ पोशाक	10000	3333	3000	7000
2801	व्यवसायिक एवं विशेष सेवायें	250000	83325	82000	168000
योग-0002 गजेटियर्स		45,75,000	15,24,847.5	15,04,000	3071000

(पन्द्रह लाख चार हजार) रुपये मात्र

- राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में की जायगी।
- राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड, माँग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।

कृ०प०उ०


4. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 वि०(2) दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-295/वि० दिनांक-24.03.2015 के आलोक में किया जा रहा है।

5. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वेतन एवं भत्ते मद में उपबंधित राशि में से लेखा अनुदान द्वारा उपलब्ध राशि एक तिहाई की सीमा के अधीन है। वर्ष 2014-15 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान 2015-16 के बजटीय उपबंध/आवंटन के संबंधित शीर्ष/विषयशीर्ष में प्रावधानित राशि से किया जा सकता है।


6. राशि के निकासी के बाद व्यय विवरणी, कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ शीघ्र भेज दी जाय।

7. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।


विश्वासभाजन,


(विनोद कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव


ज्ञापांक:- 05- (5) /रा०, पटना-15 दिनांक :- 22/04/15
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


(विनोद कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 05 (5) /रा०, पटना-15 दिनांक :- 22/04/15
प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार सिचाई भवन, पटना / लेखा शाखा गजेटियर्स-(दो प्रतियो में) / राज्य संपादक गजेटियर्स, बिहार, पटना / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


(विनोद कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :- 05 (5) /रा०, पटना-15, दिनांक :- 22/04/15
प्रतिलिपि :- विभ्रगीय आई० टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


(विनोद कुमार झा),
सरकार के अपर सचिव।